

प्रमुख
जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
मुल्तानपुर

संख्या

2635-39
सी.टी.एस.टी. वि. कॉलेज टी. एम्.एस.टी. वि.
शाहपुर नरती नुर-मुल्तान नुर

दिनांक: 26/3/2009 /मान्यता / (मि) / 2009-10 दिनांक 6/2/09

विषय- अंतरराष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय को अस्थाई मान्यता दिनांक 2009-10 में सम्पन्न में।

महोदय

आपको उपरोक्त विषयक मामला आवेदन पत्र द्वारा सम्बन्धित सहायक बालिक शिक्षा अधिकारी/श्री का विद्यालय निरीक्षण/नगर शिक्षा अधिकारी की अस्था/संशुक्ति के परिशिष्ट में जिला मान्यता समिति (प्रारंभिक) मुल्तानपुर में बैठक दिनांक 27.08.2008 अथवा समीक्षा एवं विचारोपलब्ध नहीं सम्पत्ते के बिन्दे गरी नियमानुसार आपकी जला अंतरराष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय को अधीनस्थित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ मान्यता संख्या 1073/10-2-22(एस) / 09 दिनांक 10.09.08 के आलोक में अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त/शर्तों-

1. संस्थाधिकारी को प्रारंभिक बालिक शिक्षा अधिनियम एवं उपरोक्त शासनवर्धों एवं विधायी आदेशों का अनुपालन बध्यकार होगा।
2. अंतरराष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय को टी गरी अस्थाई मान्यता स्थाई प्रकृति की होगी तथा इस विधिले प्रतियोगी गरीनीकरण कलामे जाने को आवश्यकता प्रकृष्ट दिनांक 10.09.08 के अनुसार गरी है।
3. अंतरराष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय जिन्हें अस्थाई मान्यता प्रदान की गरी है जो 05 वर्ष में स्थाई मान्यता हेतु आवेदन कलामे अनिवार्य होगा तथा निर्धारित कली शर्तों को इन अस्थाई में पूरा कलामे आवश्यक होगा।
4. संस्था के गरीनीकरण/गरीनीकरण संविधान के अनुसार निर्धारित समय के अलावा निरन्तर सुनिश्चित कलामे जाय।
5. प्रमुख समिती के मुनास नियमानुसार निर्धारित समय के अलावा कलामे जायेगा।
6. विद्यालय परिचार एवं क्रीडा हेतु नियमानुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध की जाय तब तक उपरोक्त अस्थाई में विद्यालय के साथ भूमि दर्ज हो जाय तब का प्रकृष्ट में विद्यालय को स्थापित होगा। का भूमि कलामे तथा विद्यालय में हो।
7. पुस्तकालय, लाय, सजा, शिक्षण सामग्री अदि का नियमानुसार पर्याप्त धरणा सुनिश्चित की जाय।
8. सुरक्षित कोष रु० 1000.00 तथा प्रकृष्ट कोष रु० 2500.00 को निरन्तर धरणा सुनिश्चित की जाय जो जिला बालिक शिक्षा अधिकारी के परामर्श कलामे हो।
9. विद्यालय में नियमानुसार निर्धारित अस्थाई गरी या सी.टी.सी. परिशिष्ट अस्थाई/अस्थाईकली को नियुक्ति कलामे जाय। जिला बालिक शिक्षा अधिकारी के परामर्श के उपरान्त को नियुक्ति/स्थापनकरण/सजा समिति संस्थाधिकारी द्वारा की जायेगी अस्थाई अस्थाई/अस्थाई होगा।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Anikumar Kp...]

- 11. विद्यालय द्वारा विद्यार्थी सुचारु रूप से कार्य करने के लिए विद्यालय सुचारु रूप से कार्य करने के लिए विद्यार्थी को अनुसूचित वेक/अनुसूचित में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए।
- 12. विद्यालय की सुचारु रूप से कार्य करने के लिए विद्यार्थी को अनुसूचित वेक/अनुसूचित में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए।
- 13. विद्यालय में शिक्षक को अनुसूचित वेक/अनुसूचित में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए।
- 14. विद्यालय में विद्यार्थी विद्यार्थी को अनुसूचित वेक/अनुसूचित में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए।
- 15. विद्यालय में विद्यार्थी विद्यार्थी को अनुसूचित वेक/अनुसूचित में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए।


 (मनीष कुमार सिन्हा)
 शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी
 सुनारगढ़।

सूचना: पत्रिका 2 दिनांक 20/01/2020-

संविधि- विद्यार्थी विद्यार्थी को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए।

- 1. शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी सुनारगढ़।
- 2. शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी सुनारगढ़।
- 3. शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी सुनारगढ़।
- 4. शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी सुनारगढ़।

शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी
 सुनारगढ़।

Anil Kumar

Anil Kumar